न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3038–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–11–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 275/2008–09/निगरानी.

भागीरथ पुत्र पूरनजू,
निवासी ग्राम दावरभाट तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. तखतसिंह पुत्र पूरन जू
2. भगवान सिंह पुत्र पूरन जू
3. सावित्री पुत्री पूरन जू,
   निवासीगण ग्राम दावरभाट तहसील
   नरवर जिला शिवपुरी
4. शांति पुत्री पूरन जू
   निवासी ग्राम दावरभाट तहसील नरवर,
   जिला शिवपुरी, हाल निवासी सलैया पमार
   तहसील व जिला दतिया म0प्र0

——— अनावेदकगण

– – –

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक– आवेदक
श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक – अनावेदक कमांक 1

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 23 दिसम्बर 2015)

– – – – – –

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 01–11–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत दावरभाट द्वारा प्रस्ताव कमांक 10 दिनांक 20–8–98 के द्वारा उभय पक्ष के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध तखत सिंह आदि के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–6–09 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर आवश्यक निर्देश के साथ प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालिरय को निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 01–11–2011 के द्वारा आवेदक की निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई थी वह सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील थी जो प्रथमृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं थी, क्योंकि सहमति के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभय पक्षों को सूचना एवं सुनवाई तथा साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किया जाकर आदेश पारित किया था। अतः ऐसे विधिवत आदेश को अपास्त करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि विवादित के संबंध में उभय पक्षों के मध्य बहामी बटवारा किया गया था और उसी के अनुसार वह अपने–अपने कब्जे की भूमि पर कास्त करते आ रहे हैं तथा उसी अनुसार विचारण न्यायालय ने बटवारा किया था । ऐसी स्थिति में यह कहा जाना कि बटवारा समान अंश में नहीं किया गया, गलत है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा भूमि की उपयोगिता एवं उसकी

गुणवत्ता के आधार पर किया गया था। अतः दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त की जाकर अपील स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में 8 माह से अधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया और न ही सभी खातेदारों को व्यक्तिगत सूचना सुनवाई हेतु जारी की गई है। यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को हिस्से से अधिक भूमि दी गई है। विवादित प्रकरण में निराकरण करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इसलिए अनुविभाग अधिकारी ने पुनः बटवारा किये जाने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्ययालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया गया। आवेदक ने अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 01—11—2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में न्यायालय में दिनांक 11—9—12 को निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदन ने अपने म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पर केवल यह आधार दिया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही उसके अभिभाषक ने आदेश की कोई जानकारी दी गई तथा जब वह दिनांक 10—9—12 को ग्वालियर आया तब अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी दी। अपर आयुक्त ने उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्क सुनने के पश्चात दिनांक 01—11—12 को आदेश पारित किया है। 10 माह तक आदेश की जानकारी प्राप्त न होना एवं उनके अभिभाषक को आदेश की जानकारी अधीनस्थ द्वारा

प्रदाय नहीं की गई है इसका भी कोई ठोस आधार अथवा दस्तावेज प्रस्तत नहीं किया है।

1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) विरूद्ध छोटा उच्च न्यायालय ''–धारा 5–विलंब–सद्भाविक–अर्थ–कार्यवाही में अनुपस्थिति तथा अपने काउन्सेल से संपर्क करने का कभी प्रयास नहीं किया अथवा मामले के भाग्य के विषय में जॉच करने का कोई कदम नहीं उठाया–पक्षकारों का यह आचरण उनकी ओर से गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है–इसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता है ।''

आवेदक की ओर से निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाने से सदभाविक नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत दावरभाट द्वारा प्रस्ताव कमांक 10 में पारित आदेश दिनांक 20–9–98 के द्वारा उभय पक्ष के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने सभी सहखातेदारों को विधिवत सूचना जारी किया जाना नहीं पाने एवं विधिवत वटवारा नहीं किये जाने से पुनः बटवारा किये जाने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अवधि बाह्य निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 01–11–2011 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर